न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 38/2017

अपीलांट

1. पदमसिंह उर्फ पदीया पुत्र रामा
2. मृतक मगीया पुत्र रामा के उतराधिकारी:–
   2/1 रूबी बेवा मगीया
   2/2 केशरसिंह पुत्र मगीया
   2/3 भंवरसिंह पुत्र मगीया
   2/4 मोतीसिंह पुत्र मगीया
   2/5 जीवी पुत्री मगीया
3. मृतक प्रताप पुत्र रामा के उतराधिकारी:–
   3/1 सोहनसिंह गोदपुत्र प्रताप
4. हजारी पुत्र रामा
5. मूला पुत्र रामा, जातिगण रावत राजपूत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. हिम्मताराम गोदपुत्र वरदा जाति रावत राजपूत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली।
2. चमना पुत्र रामा, जाति रावत राजपूत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली।
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शफी पठान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दिव्य प्रकाश, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 145/1995 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2002 को पारित हुआ तथा उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्टाम्प पेश करने पर अन्तिम डिक्री दिनांक 26.07.2003 पारित की गई। अपीलांट के वकील द्वारा अपीलांट को प्रकरण में अन्तिम डिक्री की कोई सूचना नहीं दी गई है। किन्तु अपीलांट जब दिनांक 20.03.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त के बीच धोरापाली/माठ पर तोडफोड करने अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलांट द्वारा दिनांक 22.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट को दिनांक 24.04.2017 को निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त हुई। तब अपीलांट द्वारा वकील से सलाह मशवरा कर हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। जो अपील म्याद अंदर अवधि पेश है। अत अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अंदर अवधि शुमार किये जाने के आदेश फरमावे।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने गुणवागुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 74, रकबा 2.12 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 75 रकबा 2.12 हैक्टेयर किस्म बारानी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2002 एवं अन्तरिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2003 पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में वास्तविकता यह है कि रामा एवं वरदा दो भाई थे। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 रामा के वारिसान है। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वरदा का तथाकथित गोदपुत्र है। किन्तु वरदा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गोदनामे का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य लेकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 74, रकबा 2.12 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 75 रकबा 2.12 हैक्टेयर किस्म बारानी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2002 एवं अन्तरिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2003 पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, व 88, 89 का दावा वर्ष 1995 में पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण को दिनांक 29.12.1995 द्वारा नोटिस जारी किये गये। जो कि बाद तामिल अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुए। उसके पश्चात दिनांक 31.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

01.1996 को अपीलांट संख्या 01 की ओर से वकील श्री जगदीश बोहरा वकालतानामा प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात पत्रावली वास्ते प्रतिवादी/अपीलांट के जवाब हेतु मुकर्रर की गई। उसके पश्चात दिनांक 12.03.1997 को अपीलांट संख्या 03 मृतक प्रताप एवं 04 हजारी की ओर से वकील श्री शान्तु कुमार द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 03.06.1998 तक वास्ते प्रतिवादी/अपीलांटग्ण के जवाब हेतु नियत थी। किन्तु अपीलांटगण द्वारा कोई जवाब पेश नही करने की सूरत में प्रतिवादी/अपीलांटगण का जवाब बंद करने के आदेश प्रदान किये गये। उसके पश्चात पत्रावली वास्ते वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की शहादत हेतु दिनांक 20.12.1999 तक नियत थी। उसके पश्चात दिनांक 20.12.1999 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की शहादत समाप्त करने के आदेश दिये जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई, एवं तहसीलदार देसूरी को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.10.2000 को तहसीलदार देसूरी द्वारा बंटवाडा रिर्पोट प्रस्तुत की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2001 विधिवत कारणो का हवाला देते हुए न्यायहित में तहसीलदार देसूरी से पुन बंटवाडा रिर्पोट मंगवाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 18.03.2002 को बंटवाडा रिर्पोट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त बंटवाडा रिर्पोट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2002 के आदेश पारित किये गये। एवं उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में अन्तरिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2003 पारित करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कई वर्षो तक मौका देने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। जहां तक रजिस्टर्ड गोदनामे का प्रश्न है तो अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मीमो में गोदनामे के संबध में कोई रिलीफ नहीं मांगी है। इसके अतिरिक्त गोदनामे के संबध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। एवं अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमन अधिनियम प्रस्तुत कर अपील म्याद अंदर शुमार फरमाने को निवेदन किया है उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अपीलांटगण द्वारा अपीलांट के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटगण को नहीं दी गई का अंकन किया है, जो कि चलने योग्य नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमन अधिनियम खारिज किया जावे। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत हैं अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमन अधिनियम पर मनन किया गया। हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलांटगण को जैर अपील निर्णय व डिक्री की सूचना नहीं देने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।" हस्तगत प्रकरण अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील 13 वर्ष 9 माह 8 दिन पश्चात प्रस्तुत की गई है। एवं उक्त विलम्ब का यथोचित कारण धारा 5 परिसीमन अधिनियम में प्रस्तुत नहीं किया है। एंव जहां तक प्रकरण में गुणवागुण पर निर्णय का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, व 88, 89 का दावा वर्ष 1995 में पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण को दिनांक 29.12.1995 द्वारा नोटिस जारी किये गये। जो कि बाद तामिल अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुए। उसके पश्चात दिनांक 31.01.1996 को अपीलांट संख्या 01 की ओर से वकील श्री जगदीश बोहरा वकालतानामा प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात पत्रावली वास्ते प्रतिवादी/अपीलांट के जवाब हेतु मुकर्रर की गई। उसके पश्चात दिनांक 12.03. 1997 को अपीलांट संख्या 03 मृतक प्रताप एवं 04 हजारी की ओर से वकील श्री शान्तु कुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। किन्तु अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्तागण की ओर से कई बार अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण का जवाब बंद करने के आदेश प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 145/1995 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2002 एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अंतिम डिक्री दिनांक 26.07.2003 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली